//

संख्या–32/14/IX/2009

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट,
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून:दिनॉक: 24 मार्च,2009

विषय:– जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के अतिरिक्त रनवे से लगी हुई निजी भूमि को (विस्तारीकरण फेज–2) अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 518/रा0ना0उ0नि0/जौ0ए0/03/2008 दिनांक 22 जुलाई, 2008 के कम में सदस्य (योजना) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–AA/01/29/2008-AR II(P) दिनांक 11–11–2008 एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–55/आठ–विभूअअ/देहरादून/2008 दिनांक 25–2–2008 की प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु बनाई गई योजना में तत्समय हुई सहमति के आधार पर भूमि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने के फलस्वरूप अब विस्तारित रनवे के उस भाग में जहां पर विमानों के Emergency Parking तथा Isolation Bay के लिये चिन्हित एवं उपयोगी भूमि को विस्तारीकरण फेज–2 की योजना के अन्तर्गत ग्राम जौलीग्रान्ट व अठूरवाला परगना परवा दून की कमशः 6.7125 हैक्टेअर व 0.6795 हैक्टेअर प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये कुल अनुमानित प्रतिकर की गणना के योग 4,13,22,758.00 के सापेक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही के निमित्त वांछित 10 प्रतिशत की अग्रिम धनराशि अर्थात् रू0 41,32,276.00 सुगमांकित 41,32,300.00 (रूपये इकतालिस लाख बत्तीस हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि के आहरण की अलग से स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है, बल्कि इस धनराशि के व्यय हेतु आहरण पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–252/77/IX/08 /रा0ना0उ0 दिनांक 22 मई, 2008 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी धनराशि से ही किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का आहरण कर रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून अथवा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी तथा इसका व्यय विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा।

4– मितव्ययता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि के विपरीत वास्तविक रूप से आंकलित धनराशि का ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

7– उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ उक्त सम्बन्ध में मितव्ययता के विषयों में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कमशः——2

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन– आयोजनागत 800–अन्य व्यय 03–हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान–00–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1430 /xxvii(i)/2008 दिनांक 23 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 32 /14/IX/2009, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01 महालेखाकार, (आडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1, इन्दिरा नगर, देहरादून।
02 महालेखाकार ए एण्ड ई उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
03 आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
04 सदस्य (योजना) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली–110003
05 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
06 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
07 जिलाधिकारी, देहरादून।
08 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
09 मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10 एअरपोर्ट आफिसर, जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट, देहरादून।
11 उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश।
12 वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
13 गार्ड बुक ।
14 एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव